

परिशिष्ट का पृष्ठ

विधानसभा अतः दिनांक 25.12.25 के तारिखित प्रश्न क्रमांक 238 के उत्तरों "ख" की जाहगरी

सह-य-जीवाधू पण्डेल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

बैठक का दिनांक-1-12-2025

भोपाल, दिनांक 03/06/2020

//आदेश//

क्रमांक/बी-9-1/19/14-2: एतद् द्वारा समन्वय से अनुमोदन अनुसार पूर्व भागीय आदेश को अधिकमित करते हुए अन्य आगामी आदेश तक प्रदेश में यूरिया, गेपी, एमओपी, काम्प्लेक्स एवं एसएसपी उर्वरकों को सहकारी क्षेत्र में 55% एवं निजी क्षेत्र में 45% के अनुपात में वितरण किया जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जितेन्द्र सिंह परिहार)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक/बी-9-1/19/14-2 11477

भोपाल, दिनांक 03/06/2020

विलिपि :-

- मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय
- सचिव, म0प्र0 शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
- विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म0प्र0 भोपाल।
- संभागीय आयुक्त.....(समस्त) म0प्र0।
- कलेक्टर, जिला.....(समस्त) म0प्र0।
- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
- 10. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित/एम.पी.ए.पी./बीज निगम/ अपेक्स बैंक/बीज महासंघ, भोपाल।

- निज सहायक, अवर सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
- निज सहायक, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासनअधीन अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/08/2021

//आदेश//

क्रमांक/AGR/1/0012/2020-Sec-2-14(AGR) एतद्वारा प्रशासकीय निर्णय अनुसार विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11.02.2021 से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में ग्रामिण ऊर्वरक को सहकारी क्षेत्र में 50 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत के अनुपात में वितरण किये जाने के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक प्रदेश में ग्रामिण ऊर्वरक सहकारी क्षेत्र में 70 प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र में 30 प्रतिशत के अनुपात में वितरण किया जावे। शेष ऊर्वरकों की व्यवस्था पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

(दिलीप कुमार)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 11/08/2021

पु. क्रमांक/AGR/1/0012/2020-Sec-2-14(AGR)

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. आयुक्त एवं पंजीयन, सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल।
7. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल।
8. संभागीय आयुक्त ----- (समस्त) म.प्र.।
9. कलेक्टर, जिला ----- (समस्त) म.प्र.।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या./बीज निगम/अपेक्स बैंक/बीज महासंघ, भोपाल।

- निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
- अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अनुमति अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 33/2024/FWAD (300343)

भोपाल दिनांक, 29/03/2024

//आदेश//

क्रमांक/AGR/1/0006/2024-FERTI-FWAD (C.No.285426)/152 दिनांक 02.02.2024 में
आंशिक संशोधन करते हुये प्रदेश में अन्य आगामी आदेश तक डीएपी उर्वरक को सहकारी क्षेत्र में 75
प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र में 25 प्रतिशत के अनुपात में वितरण किया जाये। शेष उर्वरकों की व्यवस्था
पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल दिनांक, 29/03/2024

क्रमांक: 33/2024/FWAD (300343)

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान: मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त एवं प्रजीयन, सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल।
8. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल।
9. संभागीय आयुक्त ----- (समस्त) म.प्र.।
10. कलेक्टर, जिला ----- (समस्त) म.प्र.।
11. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या/बीज निगम/अपेक्स बैंक/बीज महासंघ, भोपाल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग